न्यायालय सत्र न्यायाधीश, गाजीपुर
उपस्थितः धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय (एच 0 जे0 एस 0)
(JO CODE UP2002)
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–824 सन् 2026
CNR No. UPGH010018612026

राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश उम्र लगभग 26 वर्ष पुत्र रामसहाय सिंह कुशवाहा निवासी ग्राम रसूलपुर, थाना सैदपुर, जिला गाजीपुर।

------आवेदक/अभियुक्त

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य बजरिये जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, गाजीपुर।
2– नेहा मौर्या पुत्री राजेश मौर्या निवासी ग्राम ब्रम्हस्थान पीरनगर, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर।

-------विपक्षीगण

मु०अ०सं०–97/2026
धारा–85, 115(2), 352, 351(3), 75(2), 76, 318(2), 110(2), 127(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम
थाना–कोतवाली, **जनपद** गाजीपुर।
अभियुक्त की ओर सेः सुश्री सुधा कश्यप, एडवोकेट
राज्य की ओर सेः श्री कृपाशंकर राय जिला शासकीय अधिवक्ता(दाण्डिक)

08–06–2026

1– प्रस्तुत प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्त राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश ओर से मुकदमा अपराध संख्या–97/2026, धारा 85, 115(2), 352, 351(3), 75(2), 76, 318(2), 110(2), 127(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली, जिला गाजीपुर के मामले में अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2– अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादिनी मुकदमा द्वारा संबंधित थाना पर इस आशय का अभियोग दर्ज कराया गया कि उसका विवाह राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश निवासी रसूलपुर, सैदपुर भीतरी, गाजीपुर के साथ दिनांक 02–03–2024 को हिंदू रीति–रिवाज के साथ सम्राट पैलेस (निकट आई.टी.आई. स्कूल), तुलसीपुर, गाजीपुर से संपन्न हुआ था। प्रार्थिनी के पिता ने अपनी हैसियत से बढ़कर कुल 9,00,000/– लाख नकद व बैंक ट्रांसफर के जरिये (बैक में (2 लाख), छेका (5 लाख), तिलक (1 लाख) और बाइक हेतु (1 लाख)) (विभिन्न रस्मों में), भारी मात्रा में सोने के आभूषण, टीवी, फ्रिज, वाशिंग मशीन और फर्नीचर आदि दिया था। प्रार्थिनी के पिता एवं परिजनों द्वारा विपक्षीगण (पति–राजेश कुशवाहा, ससुर रामसहाय सिंह कुशवाहा एवं सास–शिला देवी) की संतुष्टि हेतु प्रदान की गई थी। विवाह से पूर्व विपक्षीगणों ने झूठ बोला था कि उसका पति (राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश) बेंगलुरु के फाइव स्टार होटल में 70,000/– वेतन पर मैनेजर है। जबकि वह बेरोजगार है। जब प्रार्थिनी ने इस झूठ का विरोध किया, तो पति (राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश), ससुर (रामसहाय सिंह) और सास (शीला देवी) ने मिलकर प्रार्थिनी को मारना–पीटना शुरू कर दिया। उनके द्वारा नौकरी और आय के संबंध में किए गए सभी दावे मात्र एक सफेद झूठ थे, ताकि वे भारी दहेज ऐंठ सकें। विपक्षीगणों द्वारा रायल एनफील्ड बुलेट और प्रार्थिनी के पति (राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश) के व्यापार के लिए नकद रुपयों की निरंतर मांग की गई। मांग पूरी न होने पर प्रार्थिनी को बांझ कहकर अपमानित किया गया

और प्रार्थिनी का फोन छीन लिया गया। 13–07–2024 को 112 हेल्पलाइन पर कॉल करके सहायता प्राप्त की। इसके बाद, प्रार्थिनी ने अपने परिवार को भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में सूचित किया। पुलिस प्रशासन के जाने के उपरांत, प्रार्थिनी के ससुर (श्री रामसहाय सिंह कुशवाहा) द्वारा प्रार्थिनी को अत्यन्त गम्भीर परिणाम भुगतने की धमकी दी गयी। उन्होने अहंकारपूर्ण लहजे से यह कहा कि पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पायेगी। उन्होने अवैध असलहा दिखा कर अपनी आपराधिक पृष्ठभूमि का बखान करते हुए प्रार्थिनी पर दबाव बनाने का प्रयास किया और कहा कि, वह पहले भी एक लड़की के साथ दुष्कर्म जैसे संगीन अपराध को अंजाम देकर बच निकले है। उनका कोई कुछ नहीं कर पाया। पुलिस तो उनकी जेब में रहती है। प्रार्थिनी के वृद्ध पिता ने घर बचाने की खातिर कर्ज लेकर 2,00,000/– लाख नकद पुनः दिए, लेकिन विपक्षियों का लालच बढ़ता गया। उन्होंने न केवल प्रार्थिनी के साथ अत्यंत अभद्र और अमर्यादित भाषा में गाली–गलौज की, बल्कि शारीरिक रूप से बुरी तरह प्रताड़ित और लांछित (मारपीट) करने का कुत्सित प्रयास निरंतर किया जाने लगा। विपक्षीगणों द्वारा इस प्रकार डरा–धमका कर धन की उगाही करना और निरंतर शारीरिक चोट पहुँचाना एक गंभीर आपराधिक कृत्य है, जिससे उसका जीवन और भविष्य पूरी तरह अंधकारमय हो गया है। प्रताड़ना की पराकाष्ठा तब पार हो गई जब प्रार्थिनी को ज्ञात हुआ है कि प्रार्थिनी के पति (राजेश कुशवाहा) का किसी अन्य लड़की के साथ अवैध संबंध है। प्रार्थिनी के पति (राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश) अक्सर बाहर से मादक पदार्थों का सेवन करके घर आते थे और बिना किसी कारण या विवाद के प्रार्थिनी के साथ बर्बरतापूर्वक मारपीट और रात्रि के समय उसके साथ अमानवीय एवं क्रूर यौन दुर्व्यवहार किया जाने लगा है। प्रार्थिनी के स्पष्ट विरोध और शारीरिक अस्वस्थता के बावजूद, वे प्रार्थिनी के साथ बलपूर्वक जोर–जबरदस्ती करते है। कुछ समय पूर्व दोपहर के समय, प्रार्थिनी ने अपनी सास (श्रीमती शीला देवी) को उनके रिश्तेदार चिंटू के साथ घर के बाहरी कक्ष में अत्यंत आपत्तिजनक एवं अनैतिक अवस्था में देख लिया था। उक्त घटना की प्रत्यक्षदर्शी होने के कारण, प्रार्थिनी के पति, सास, ससुर और उक्त चिंटू ने मिलीभगत करके प्रार्थिनी पर मानसिक और अनैतिक दबाव बनाना शुरू कर दिया। इन लोगों की मंशा अत्यंत घृणित है। ये मिलकर प्रार्थिनी पर इस बात का दबाव बना रहे हैं कि वह अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने ससुर (रामसहाय सिंह कुशवाहा) और पति के मौसेरे भाई (चिंटू) के साथ शारीरिक संबंध बनाये। प्रार्थिनी के ससुर (रामसहाय सिंह कुशवाहा) द्वारा भी प्रार्थिनी के साथ निरंतर छेड़छाड़ और बलपूर्वक दुराचार का प्रयास किया गया। विरोध करने पर उसे गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी जाती है। इस निरंतर शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न के कारण प्रार्थिनी को रात–रात भर सोने नहीं दिया जाता। प्रार्थिनी को निर्वस्त्र कर, रात भर घर की छत पर रहने के लिए विवश कर दिया गया। असुरक्षा के बीच अपनी लज्जा और आत्मसम्मान को बचाने का प्रयास करती रही और विलाप करती रही। सुबह होने के पश्चात ही प्रार्थिनी के ससुर (रामसहाय सिंह कुशवाहा) द्वारा प्रार्थिनी को वस्त्र दिए गए और घर के भीतर प्रवेश करते ही प्रार्थिनी के साथ बलत्कार का प्रयास किया गया। इस असहनीय व्यवहार से प्रार्थिनी मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी है। ससुराल पक्ष के अन्य सदस्यों ने प्रार्थिनी के पति और ससुर के इस अनैतिक और हिंसक व्यवहार को रोकने के स्थान पर सदैव उन्हें प्रोत्साहित किया है और प्रार्थिनी को चुप रहने के लिए प्रताड़ित किया है। दिनांक 22–08–2024 की शाम जब प्रार्थिनी सो रही थी, तभी प्रार्थिनी की सास शीला देवी ने प्रार्थिनी का पैर और पति के मौसेरे भाई चिंटू ने प्रार्थिनी के हाथ पकड़ लिए। इसी दौरान प्रार्थिनी के पति राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश ने तकिये से प्रार्थिनी का मुँह और नाक दबाकर प्रार्थिनी को जान से मारने के नियत से प्रयास किया। दम घुटने के कारण तड़पते हुए प्रार्थिनी ने संघर्ष किया और उन्हें धक्का देकर दूसरे कमरे में खुद को बंद कर लिया। प्रार्थिनी ने फोन पर परिजनों को सूचना दी, किंतु दम घुटने के कारण तड़पते हुए प्रार्थिनी बेहोश हो गई। होश आने पर प्रार्थिनी ने खिड़की से पिता की आवाज सुनी। ससुराल वालों ने कमरा तोड़ने का प्रयास किया था। जब पिता प्रार्थिनी को ले जाने लगे, तो पति (राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश) ने उनसे झगड़ा और बदसलूकी की। साक्ष्यों के अभाव और दबाव के कारण उन्होंने 24 घंटे बाद प्रार्थिनी को भेजने की शर्त रखी। पूरी रात उन्हें पानी तक नहीं दिया गया और अवैध असलहा दिखा कर

जान से मारने की धमकी दी गई। दिनांक 23–08–2024 की सुबह मायके जाते समय पति (राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश) ने जबरन प्रार्थिनी के बैग की तलाशी ली और उसकी समस्त नगदी, गहने व गले का मंगलसूत्र छीन लिया। कुछ समय व्यतीत होने पर, जब प्रार्थिनी के परिवारजन ने ये ही प्रार्थिनी की किस्मत मान कर विदाई की चर्चा करने हेतु विपक्षीगणों के निवास स्थान पर गए, तो विपक्षीगणो ने शर्त रखा कि उनके क्षेत्र में नया मकान बनवाकर देने पर ही विदाई की जाएगी। असमर्थता जताने पर वे मोटी नकद धनराशि की मांग कर रहे हैं। पति द्वारा महिला प्रकोष्ठ में विदाई हेतु एक फर्जी प्रार्थना–पत्र दिया गया है, जो मात्र एक दिखावा है। प्रार्थिनी के पिता को निरंतर धमकी दी जा रही है। यदि उन्होंने बयान बदला या पंचायत के बाहर बात की, तो उसका अपहरण कर उसे जान से मार दिया जाएगा। इस डर के कारण प्रार्थिनी के पिता अब तक कानूनी कार्यवाही का साहस नहीं जुटा पाए। दिनांक 20–01–2025 को प्रार्थिनी के पति ने विदाई की चर्चा हेतु उसे फोन कर शंकर जी मंदिर, नन्दगंज (गाजीपुर) बुलाया। वहाँ प्रार्थिनी के पिता, भाई और उनके मित्र इकबाल पहुँचे तो पति–राजेश कुशवाहा, ससुर–रामसहाय सिंह कुशवाहा, सास–शिला देवी, जेठ–दिनेश कुशवाहा एवं पति के मौसेरे भाई (चिंटू) और 2 अज्ञात व्यक्ति पहले से घातक योजना बनाकर मौजूद थे। प्रार्थिनी के परिजनों के पहुँचते ही विपक्षियों ने उन्हें बंधक बना लिया और बर्बरता से मारपीट की। प्रार्थिनी के पिता के पर्स से सारी नकदी बलपूर्वक छीन ली गई। प्रार्थिनी के पति व ससुराल वालों ने 5 लाख की अवैध मांग की। मांग पूरी न होने पर एक अज्ञात व्यक्ति ने प्रार्थिनी के भाई के सिर पर अवैध असलहा तानकर जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिनी के पति ने तलाक की धमकी देते हुए सत्ता और बल का धौंस दिखाया जबरन चुप रहने की धमकी देकर उन्हें छोड़ा गया। इस खौफनाक घटना से प्रार्थिनी के पिता गहरे सदमे में हैं और उन्हें हृदय संबंधी गंभीर बीमारी हो गई है, जिनका उपचार चल रहा है। विपक्षी प्रतिदिन व्हाट्सएप (WhatsApp) मैसेज, स्टेटस और (Instagram) के वीडियो के माध्यम से प्रार्थिनी और प्रार्थिनी के परिवार के खिलाफ अत्यंत भद्दी गालियों और अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते है। प्रार्थिनी को निरंतर गंभीर परिणाम भुगतने और जान–माल की धमकियों दी जा रही हैं। आरोपी चालाकी से इन संदेशों और स्टेटस को पोस्ट करने के बाद डिलीट कर देता है ताकि कोई प्रमाण न रहे। इस निरंतर दुर्व्यवहार और आक्रामकता के कारण प्रार्थिनी अपनी सुरक्षा को लेकर अत्यंत भयभीत है। इस मानसिक प्रताड़ना का प्रार्थिनी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वादिनी मुकदमा के उक्त तहरीर पर इस प्रकरण की प्राथमिकी आवेदकगण/अभियुक्तगण राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश, रामसहाय सिंह कुशवाहा, शिला देवी, दिनेश कुशवाहा, राजेश कुशवाहा के मौसेरे भाई चिंटू व दो अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–97/2026, धारा 85, 115(2), 352, 351(3), 75(2),76,318(2),110(2), 127(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना कोतवाली गाजीपुर में पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

3– आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया कि आवेदक/अभियुक्त निर्दोष है तथा उनके द्वारा उक्त आशय का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त को विश्वास करने का आधार है कि पुलिस थाना कोतवाली आवेदक/अभियुक्त को उपरोक्त मुकदमें में कभी भी अपमानित व प्रकरण में निरूद्ध कराये जाने के उददेश्य से गलत तौर पर गिरफतार कर सकती है। आवेदक/अभियुक्त न ही वादिनी मुकदमा व उसके परिवार से कभी किसी प्रकार के दहेज की मांग किये हैं, न ही वादिनी मुकदमा को कभी भी शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया हैं। तथाकथित घटना की प्राथमिकी कानूनी राय लेकर एक वर्ष 6 माह बाद दर्ज करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण तहरीर में उल्लेख नहीं किया गया है। वादिनी मुकदमा द्वारा मुकदमा में गम्भीरता लाने के लिये सभी बातें मनगढ़न्त कहानी बनाकर मुकदमा दर्ज करायी है जबकि आवेदक/अभियुक्त वादिनी मुकदमा को कभी हैरान व परेशान नहीं किया हैं, बल्कि वादिनी मुकदमा द्वारा पूरे परिवार को परेशान किया गया है। आवेदक/अभियुक्त ने प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय,गाजीपुर में वैवाहिक वाद सं० /2025 धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम का मुकदमा तारीख पेशी 17–04–2026 प्रस्तुत किया है,

जिसमें वादिनी मुकदमा जानबूझकर उपस्थित नहीं हो रही है, बल्कि उस मुकदमा को समाप्त कराने हेतु दबाव बनाने के लिये मुकदमा पंजीकृत करायी है। वादिनी मुकदमा एक नये जमाने की औरत है तथा कोई रोजी रोजगार का काम नहीं करना चाहती है, बल्कि आवेदक/अभियुक्त को परेशान करके रख दी तो आवेदक/अभियुक्त द्वारा मुकदमा करने की मजबूरी हो गयी। आवेदक/अभियुक्त कई बार विदाई कराने का प्रयास किया तथा वादिनी मुकदमा से बातचीत करना चाहा, परन्तु वादिनी मुकदमा के परिवार के सदस्य से बातचीत नहीं करना चाहती थी। सत्यता यह है कि वादिनी मुकदमा सहअभियुक्त के साथ नहीं चाहती है, क्योंकि सहअभियुक्त बेरोजगार गरीब तथा ठेला लगाने वाला व्यक्ति है, जो वादिनी मुकदमा को पसंद नहीं है। वादिनी मुकदमा द्वारा जो आरोप लगायी है वह निराधार है क्योंकि आवेदक/अभियुक्त का पूरा परिवार एक संगठित परिवार है। ऐसे में तथाकथित प्रकृति का कृत्य सम्भव नहीं है। तथाकथित घटना की सभी धारायें सात वर्ष से कम की सजा वाली धारायें है। तथाकथित घटना पारिवारिक है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का पूर्व का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। तथाकथित घटना में वादिनी मुकदमा द्वारा मात्र बेहोश होने वाली मनगढ़न्त कहानी बनाया गया है। वादिनी मुकदमा को किसी प्रकार की कोई चोट का चिकित्सकीय प्रमाण नहीं है। सहअभियुक्तगण शीला देवी, दिनेश कुशवाहा व सिन्टू मौर्या की अग्रिम जमानत श्रीमान जी के न्यायालय से स्वीकार हो चुकी है। उक्त के आधार पर आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4– जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया गया कि आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा दहेज की मांग को लेकर वादिनी मुकदमा को प्रताड़ित किया गया तथा उसके साथ ससुराल में दुर्व्यवार किया गया है। उक्त के आधार पर अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

5– मैंने प्रथम सूचना रिपोर्ट, केस डायरी, पीड़िता का बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० व धारा 183 बी०एन०एस०एस० एवं पत्रावली पर उपलब्ध अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि आवेदक/अभियुक्त पर वादिनी मुकदमा के साथ दहेज की माँग करने, दहेज के लिये प्रताड़ित करने, उसके साथ छेड़छाड़ करने तथा आपराधिक मानव वध करने के आशय से मारपीट करने का आरोप लगाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त वादिनी मुकदमा का पति है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अंतिम बार घटना दिनांक 13–07–2024 की कही गयी है, परन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट डेढ़ वर्ष के विलम्ब से दिनांक 12–2–2026 को दर्ज करायी गयी है और उक्त विलम्ब का कोई कारण नहीं दिया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा महिला प्रकोष्ठ में एक प्रार्थनापत्र विदाई हेतु दिया गया है और उसके पश्चात ही प्रस्तुत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। पीड़िता को आवेदक/अभियुक्त व अन्य सहअभियुक्तगण द्वारा मारना पीटना कहा गया है, परन्तु पत्रावली पर कोई भी मेडिकल प्रपत्र नहीं है। पीड़िता के बयान अंतर्गत धारा 180 बी०एन०एस०एस० व धारा 183 बी०एन०एस०एस० में भिन्नता है। आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित धाराओं में अधिकतम सात वर्ष तक की सजा का प्राविधान है। आवेदक/अभियुक्त का पूर्व का आपराधिक इतिहास दर्शित नहीं किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मामले में आरोप पत्र तैयार हो चुका है जोकि केस डायरी के साथ संलग्न है। आवेदक/अभियुक्त दौरान विवेचना विवेचक के समक्ष उपस्थित हुआ है तथा विवेचना में सहयोग किया है। मामले के सहअभियुक्तगण शीला देवी, दिनेश कुशवाहा व सिन्टू मौर्या की अग्रिम जमानत इस न्यायालय द्वारा दिनांक 10–04–2026 को स्वीकार हो चुकी है। अतः वाद के सम्पूर्ण तथ्यों, परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुणदोष पर बिना कोई अभिमत व्यक्त किये आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने का पर्याप्त आधार है।

6– आवेदक/अभियुक्त राजेश कुशवाहा उर्फ मुकेश के द्वारा प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि संबंधित न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित

होने पर 30 दिन के अन्दर विद्वान विचारण न्यायालय में उपस्थित होकर अंकन 1,00,000/– रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं विधि व्यवस्था **Smt. Bacchi Devi Vs State of U.P and Another (2025 SCC Online ALL 5286)** व **Pappu Met @Pappu Vs State of U.P. & Anr. Matters Under Article 227 No. 15205 of 2025 Judgement dated 11 December 2025** में प्रतिपादित सिद्धातों के दृष्टिगत समान धनराशि की एक प्रतिभू दाखिल करने पर उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर निम्न शर्तों के अनुसार जमानत प्रदान की जाय कि –

(क) जब तक कि आवेदक/अभियुक्त की व्यक्तिगत हाजिरी विचारण न्यायालय द्वारा माफ नहीं की जायेगी, वह प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा,

(ख) आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सकें,

(ग) आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा,

(घ) आवेदक/अभियुक्त आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होहा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

दिनांकः 08–06–2026

(धर्मेन्द्र कुमार पाण्डेय)
सत्र न्यायाधीश
गाजीपुर।
JO Code: UP2002

Digitally signed by Dharmendra Kumar Pandey
Date: 2026.06.08 10:58:10 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court